



बोडश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र दैनिक विवरणिका

संख्या-01

सोमवार, दिनांक-11 फरवरी, 2019 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाहन से 12.35 बजे अप० तक

[1] अध्यक्ष द्वारा प्रारम्भिक सम्बोधन :-

यथा संलग्न ।

[2] अध्यक्ष को संबोधित राज्यपाल का संदेश :-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, लाल जी टंडन, बिहार का राज्यपाल, एतद् द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक- 11 फरवरी, 2019 को 11.30 बजे पूर्वाहन में सम्बोधित करना चाहता हूँ और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल, पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ ।

लाल जी टंडन
राज्यपाल, बिहार ।

पटना

दिनांक-04 जनवरी, 2019

[3] अध्यक्ष की घोषणा :-

माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद हम सभी एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे जब 11.30 बजे दोनों सदनों के सदस्यों के सह-समवेत उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पहली बार इस सभा वेशम से बाहर विस्तारित भवन के नव-निर्मित सेन्ट्रल हॉल में होगा । महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और सेन्ट्रल हॉल तक उनकी आगवानी के लिए मैं बाहर निर्धारित स्थल पर जाऊँगा । माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल यानि विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर आएंगे । इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेन्ट्रल हॉल में अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात इस सदन में आज के लिए निर्धारित शेष कार्य होंगे । अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेन्ट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना-अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे ।

तदुपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय सभा की अनुमति से महामहिम राज्यपाल की आगवानी कर सेन्ट्रल हॉल तक लाने के लिए सदन से बाहर गए ।

“महामहिम राज्यपाल ने दोनों सदनों के सदस्यों को सेन्ट्रल हॉल में संबोधित किया ।”

महामहिम राज्यपाल महोदय को विदा करने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय ने पुनः सभा वेशम में आसन ग्रहण किया ।

[4] अध्यासी सदस्यों का मनोनयन :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोडश बिहार विधान सभा के द्वादश सत्र के लिए निर्मांकित 5 (पाँच) सभा सदस्यों को अध्यासी सदस्य मनोनीत किया है :-

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| (i) श्री हरिनारायण सिंह | (ii) श्री (मो०) नेमतुल्लाह |
| (iii) श्री तारकिशोर प्रसाद | (iv) श्री (डॉ०) अशोक कुमार |
| (v) श्रीमती (डॉ०) रंजु गीता | |

[5] कार्यमंत्रणा समिति का गठन :-

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा घोडश बिहार विधान सभा के द्वादश सत्र के लिए निम्न प्रकार से कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया :-

- | | |
|---|----------|
| (i) अध्यक्ष, बिहार विधान सभा | - सभापति |
| (ii) श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री | - सदस्य |
| (iii) श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री | - सदस्य |
| (iv) श्री ब्रवण कुमार, मंत्री, संसदीय कार्य विभाग | - सदस्य |
| (v) श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, ऊर्जा विभाग | - सदस्य |
| (vi) श्री प्रेम कुमार, मंत्री, कृषि विभाग | - सदस्य |
| (vii) श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल | - सदस्य |
| (viii) श्री सदानन्द सिंह, स०विं०स० | - सदस्य |

विशेष आर्थिक सदस्य

- | |
|---|
| (i) श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०विं०स० |
| (ii) श्री महबूब आलम, स०विं०स० |
| (iii) श्री सुधाशु शेखर, स०विं०स० |
| (iv) श्री राजू तिवारी, स०विं०स० |

नियमानुसार अध्यक्ष, इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

[6] आर्थिक सर्वेक्षण का उपस्थापन :-

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति को सभा पटल पर रखा गया।

[7] अनुमति विधेयकों के विवरण का सभा पटल पर रखा जाना :-

सभा सचिव द्वारा घोडश बिहार विधान सभा के एकादश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम रूप्यपाल द्वारा अनुमोदित निम्न 02 (दो) विधेयकों का विवरण सभा पटल पर रखा गया :-

क्रमांक	विधेयकों का नाम	अनुमति की तिथि
(i)	बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018	06.12.2018
(ii)	बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018	06.12.2018

[8] सूचना :-

सभा सचिव द्वारा सूचित किया गया कि न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, निर्वाचित संसद सदस्य तथा विधान सभा एवं विधान परिषद् सदस्य, बिहार पटना द्वारा विशेष वाद संख्या-145/2018 (महिला थाना काण्ड संख्या-15/2016) में पारित न्याय निर्णय के तहत घोडश बिहार विधान सभा के श्री राजबल्लभ प्रसाद, स०विं०स०, क्षेत्र संख्या-237, नवादा के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) के प्रावधानों के तहत श्री राजबल्लभ प्रसाद, स०विं०स० दोषसिद्धि की तिथि, दिनांक 15.12.2018 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निर्विहित हो गए हैं।

[9] शोक प्रकाश :-

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्मांकित जननायकों के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई :-

- | |
|---|
| (i) स्व० सीताराम सिंह, पूर्व राज्य सभा सदस्य |
| (ii) स्व० मो० मौलाना असरारूल हक, पूर्व सदस्य, लोक सभा |

- (iii) स्व० कैप्टन जयनारायण प्रसाद निधाद, पूर्व सदस्य, लोक सभा एवं राज्य सभा तथा पूर्व राज्यमंत्री, भारत सरकार
 - (iv) स्व० राम श्रेष्ठ खिरहर, पूर्व सदस्य, लोक सभा
 - (v) स्व० (डा०) सुरज नन्दन प्रसाद, पूर्व सदस्य, बिहारीप०
 - (vi) स्व० वसन्त सिंह, पूर्व सांविंश० एवं पूर्व राज्यमंत्री, बिहार सरकार
 - (vii) स्व० नरदेव प्रसाद, पूर्व सांविंश०
 - (viii) स्व० यूनस लोहिया, पूर्व सदस्य, बिहारीप०
 - (ix) स्व० सचिवदा नन्द सिंह, पूर्व सांविंश०
 - (x) स्व० सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन, वर्तमान सदस्य, बिहार विधान परिषद्
 - (xi) स्व० राम बडादुर आजाद, पूर्व सांविंश०
 - (xii) स्व० अनंत प्रसाद सिंह, पूर्व सांविंश०
 - (xiii) स्व० जॉर्ज फनांडीज, पूर्व लोक सभा एवं राज्य सभा सदस्य तथा पूर्व मंत्री, भारत सरकार
 - (xiv) स्व० पीर मोहम्मद अंसारी, पूर्व सांविंश०

तदोपरांत सभी माननीय सदस्यों द्वारा एक मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शारीरि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि मेरे एवं संपूर्ण सदन की ओर से शोक संवेदना शोक संतप्त परिवार के पास भेज दिये जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2019 को 11.00 बजे पूर्वांतर के लिए स्थगित हुई।

पटना

दिनांक-11.02.2019

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव

बिहार विधान सभा, पटना ।